



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112022-240433  
CG-DL-E-19112022-240433

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]  
No. 596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

फा.सं. पीएनजीआरबी/तक./10-क्षमता/एनजीपीएल और पीपीपीएल/(2)/2022(पी-3745).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड इसके द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण:

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

- (i) विनियम 2 में, उप-खंड ( ठ ) में, "(मिलियन टन प्रति वर्ष)" शब्दों को "(मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष)" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) विनियम 4 में, -

- (क) उप-खंड (1) में, "पाइपलाइन की क्षमता की..... " शब्दों के बाद और "..... घोषणा" शब्दों से पहले, "निर्धारण या" शब्दों को शामिल किया जाएगा।
- (ख) उपखंड (2) और उपखंड (3) लोप कर दिए जाएंगे।
- (iii) विनियम 5 के उप-विनियम 3 में, -
- (क) खंड (क) के उप-खंड (vi) में, 'वेग' शीर्षक के तहत, शब्द "2 मी/सेकण्ड" को "3 मी/ सैकण्ड" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) खंड (क) के उप-खंड (vii) के लिए, "पाइपलाइन क्षमता ..... " से शुरू होने वाले और "..... दबाव और तापमान होगा:" से समाप्त होने वाले शब्दों को लोप कर दिया जाएगा।
- (ग) उपखंड (vii) के बाद, निम्नलिखित उपखंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
- "(viii) अधिकतम स्वीकार्य परिचालन दबाव (एमएओपी) - पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए किसी भी स्थिति के कारण डिज़ाइन किए गए एमएओपी या डी-रेटेड एमएओपी पर पाइपलाइन क्षमता निर्धारित की जाएगी।"**
- (घ) खंड (ख) के उप-खंड (ix) में, संख्या "2009" को "2008" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
- "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थिति में निकास बिंदु पर गैस की गुणवत्ता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की प्राप्ति संहिता) विनियम, 2008 के अनुसार होगी।"
- (ङ) खंड (ख) के उप-खंड (x) के लिए, "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थिति में..." से शुरू होने वाले और ".....विनियम, 2008 के अनुसार होगी। " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- (iv) विनियम 5 के उप-विनियम (4) में, -
- (क) खंड 4 के उप खंड (i) के "तथा अक्टूबर के पहले कार्य दिवस पर" शब्दों को हटाया जाएगा एवं शुरुआत में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात् -
- "अगले वित्तीय वर्ष के लिए"
- (ख) उप-खंड (4) में, पैराग्राफ में "कंपनियां प्रत्येक वर्ष ..." शब्दों से शुरू होने वाले और "... भी उपलब्ध कराएंगी।" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "कंपनियां प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले कार्य दिवस को (अगले वित्तीय वर्ष के लिए) द्रवचालित अनुपात तथा पाइपलाइन का प्रणाली प्रवाह आरेख भी उपलब्ध कराएंगी।"
- (v) विनियम 5 के उप-विनियम (5) में, -
- (क) खंड (क) के उपखंड (x) में, शब्द "या" को शब्द "और" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) खंड (ख) के उपखंड (viii) में, शब्द "या" को शब्द "और" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंडों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -
- "(ड.) एकीकृत या इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता ऊपर विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (च) बोर्ड के पूर्वानुमोदन से डी-रेटिंग की स्थिति को छोड़कर, पाइपलाइन क्षमता में कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (छ) जहां कहीं भी पीएनजीआरबी के बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कारणों से अतीत या भविष्य में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता में कोई परिवर्तन होता है, ऐसी स्थितियों में कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संशोधित क्षमता, प्रत्येक ऐसे कारणों का अलग से, क्षमता निर्धारण के इन विनियमों के अनुसार पीएनजीआरबी बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

(vi) विनियम 7 में -

(क) खंड (i) में, -

- i. "... की क्षमता प्रत्येक वर्ष " शब्दों के बाद और "अप्रैल के पहले कार्य दिवस" शब्दों से पहले, "अगले वित्तीय वर्ष के लिए" शब्दों को शामिल किया जाएगा।
- ii. शब्द "या जब भी" के बाद और प्रतीक "-" से पहले, "निम्नलिखित कारकों के कारण क्षमता में प्लस या माइनस 10% का कुल परिवर्तन होता है" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

(ख) खंड (i) के उप-खंड (ग) में, "जब कभी" एवं "अधिसूचित हो" शब्द लोप हो जाएंगे।

(ग) खंड (ii) में, "पुनः निर्धारित क्षमता" शब्दों के बाद एवं "का ब्यौरा प्रस्तुत" शब्दों से पहले "(विनियम 5 के अनुसार)" शब्द जोड़े जाएंगे।

(vii) अनुसूची क में -

(क) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र" शब्दों के नीचे और तालिका के ऊपर, शब्द "वित्तीय वर्ष: 20... - 20..." जोड़े जाएंगे।

(ख) तालिका के लिए, पंक्ति 12 और 13 में, "खण्ड" शब्द को "विनियमन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) नोट में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(i) क्षमता निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रणाली प्रवाह आरेख, द्रवचालित अनुपात और सतत अनुकरण फाइलें जमा करें।

(ii) उपरोक्त जानकारी कंपनी के बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित की जाएगी।"

(viii) अनुसूची ख में -

(क) "प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र" शब्दों के नीचे और तालिका के ऊपर, शब्द "वित्तीय वर्ष: 20...- 20..." शामिल किए जाएंगे।

(ख) नोट में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(i) क्षमता निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रणाली प्रवाह आरेख, द्रवचालित अनुपात और सतत अनुकरण फाइलें जमा करें।

(ii) उपरोक्त जानकारी कंपनी के बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित की जाएगी।"

(ग) तालिका के लिए, पंक्ति 13 और 14 में, "खण्ड" शब्द को "विनियमन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) तालिका के लिए, पंक्ति 14 के नीचे की पंक्ति को "15" के रूप में सांख्याकित किया जाएगा।

अनिल कुमार गर्ग, संयुक्त सलाहकार (प्रशा)

[विज्ञापन-III/4/असा./418/2022-23]

**पाद टिप्पण :** मूल विनियमों को सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 7 जून, 2010 और बाद में फा.सं. एल- विविध/VI/1/2007, दिनांक 1 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

**F. No. PNGRB/Tech/10-Cap/NGPL&PPPL/(2)/2022(P-3745).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, namely: -

1. **Short title and commencement:**

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

## 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010, -

- (i) in Regulation 2, in sub-clause (l), the words “(million tones per annum)” shall be substituted by the words, “(Million Metric Tonne Per Annum)”.
- (ii) in Regulation 4, -
  - (a) in sub-clause (1), after the words, “for the purpose of.....” and before the words “.....declaration of capacity”, the words “determination or” shall be inserted.
  - (b) the sub-clause (2) and sub-clause (3) shall be omitted.
- (iii) in sub-regulation 3 of Regulation 5, -
  - (a) in sub-clause (vi) of clause (a), under the heading ‘Velocity’, the words “2 m/sec” shall be substituted by the words “3 m/sec”.
  - (b) for sub-clause (vii) of clause (a), the words starting with “The pipeline capacity.....” and ending with “.....Pressure and Temperature:”, shall be deleted.
  - (c) after sub-clause (vii), the following sub-clause shall be inserted, namely: -
 

“(viii) **Maximum Allowable Operating Pressure (MAOP)** - The pipeline capacity shall be determined at the designed MAOP or de-rated MAOP due to any condition, for the petroleum, petroleum products or natural gas pipelines.”
  - (d) in sub-clause (ix) of clause (b), the number “2009” shall be substituted by “2008” and at the end, the following shall be inserted, namely:-
 

“In case of natural gas pipeline, the gas quality at exit point shall be as per the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for common or contract carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.”
  - (e) for sub-clause (x) of clause (b), the words starting with “In case of natural gas pipeline.....” and ending with “.....Regulations, 2008.”, shall be deleted.
- (iv) in sub-regulation (4) of Regulation 5, -
  - (a) for sub-clause (i) of clause (4), the words “and first working day of October of every year”, shall be substituted by the words “every year for next financial year”.
  - (b) in sub-clause (4), in paragraph beginning from the words “The entities shall also...” and ending with the words “...for the pipeline.”, the following shall be substituted, namely: -
 

“The entities shall also provide on first working day of April every year (for next financial year) the hydraulic gradient and system flow diagram for the pipeline.”
- (v) in sub-regulation (5) of Regulation 5, -
  - (a) in sub-clause (x) of clause (a), the word “or” shall be substituted by the word “and”.
  - (b) in sub-clause (viii) of clause (b), the word “or” shall be substituted by the word “and”.
  - (c) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely: -
 

“(e) The capacity of integrated or interconnected pipeline network shall be determined in line with methodology as specified above.

(f) Reduction of pipeline capacity shall not be permitted except in case of de-rating with prior approval from Board.

(g) Wherever there is any change in the capacity of natural gas pipeline in the past or in future due to reason(s) as approved by the PNGRB’s Board, in such cases entity shall submit the revised capacity of the natural gas pipeline, separately due to each such reasons, to PNGRB in terms of these regulations for capacity determination and approval of the Board.”

- (vi) in Regulation 7 –
- (a) in clause (i), -
- i. after the words “...April every year” and before the words “or whenever-”, the words “for next financial year” shall be inserted.
  - ii. after the words “or whenever” and before the symbol “-”, the words “there is an aggregate change of plus or minus 10% in capacity due to the following factors” shall be inserted.
- (b) in sub-clause (c) of clause (i), the words “as and when notified” shall be omitted.
- (c) in clause (ii), after the words “...of the pipeline” and before the words “to the Board...”, the words “(as per regulation 5)” shall be inserted.
- (vii) in Schedule A –
- (a) below the words “Format for furnishing information regarding determining capacity of Natural Gas Pipeline” and above the table, the words “Financial Year: 20.... - 20....” shall be inserted.
- (b) for the table, in row 12 and 13, the word “section” shall be substituted by the word “regulation”.
- (c) in Note, the following clauses shall be substituted, namely: -
- “(i) Submit the system flow diagram, hydraulic gradient and simulation files of software package used for capacity determination.
  - (ii) Above information shall be approved by person authorized by the board of entity.”
- (viii) in Schedule B –
- (a) below the words “Format for furnishing information regarding determining capacity of Petroleum and Petroleum Products Pipeline” and above the table, the words “Financial Year: 20.... - 20....” shall be inserted.
- (b) in Note, the following clauses shall be substituted, namely: -
- “(i) Submit the system flow diagram, hydraulic gradient and simulation files of software package used for capacity determination.
  - (ii) Above information shall be approved by person authorized by the board of entity.”
- (c) for the table, in row 13 and 14, the word “section” shall be substituted by the word “regulation”.
- (d) for the table, the row below row 14 shall be numbered as “15”.

ANIL KUMAR GARG, Jt. Adviser (Admin)

[ADVT.-III/4/Exty./418/2022-23]

**Footnote :** The Principal regulations were notified in the official gazette vide G.S.R. 476(E), dated 7<sup>th</sup> June, 2010 and subsequently amended vide F. No. L-MISC/VII/2007, dated 1<sup>st</sup> January, 2015.